बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

अधिसूचना

अधि0सं0– निग/सारा– (यो0 एवं वि0) आरोप–05/2023 4151 पटना, दिनांक 16/6/28

योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–29 दिनांक 03.01.2023 से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर श्री हेमन्त कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–2, जगदीशपुर, भोजपुर सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध उक्त पदस्थापन काल में फर्जी विपत्रों के माध्यम से अवैध निकासी के मामले में विभाग स्तर से आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक–2840(s)अनु0 दिनांक 24.05.2023 के द्वारा उनके विरूद्ध आनुशासनिक कार्यवाही संचालित की गयी थी तथा श्री कुमार को दिनांक–31.07.2023 को सेवानिवृत हो जाने के फलस्वरूप संचालित आनुशासनिक कार्यवाही को संकल्प ज्ञापांक–6201 (एस) दिनांक–16.10.2023 के द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43 के तहत सम्परितवर्तित किया गया। उक्त संचालित आनुशासनिक कार्यवाही में गठित आरोप निम्नवत है :–

(i) श्री हेमन्त कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–02, जगदीशपुर दिनांक 03.07.2018 से 08.07.2021 तक कार्य प्रमंडल, जगदीशपुर में कार्यरत थे। CFMS module से भुगतान की व्यवस्था 01 अप्रैल, 2019 से लागू है। पदस्थापन काल में इनके द्वारा CFMS module में Maker का दायित्व किसी नियमित कर्मी (लिपिक/LDC/Clerk) को न देकर Maker के रूप में श्री कृष्ण चन्द्र कुमार, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर (संविदा कर्मी) को दिया गया जबकि वित्त विभागीय पत्रांक–2684 दिनांक 02.04.2018 की कंडिका–01 (a) में क्षेत्रीय स्तर पर लिपिक/LDC/Clerk को Maker का दायित्व दिये जाने का प्रावधान है। फलतः उनके द्वारा वित्त विभाग के निर्देश की अवहेलना की गई है।

(ii) श्री कुमार के पदस्थापन काल में सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से तीन विपत्रों की कुल राशि 43,42,201/– (तैंतालीस लाख ब्यालीस हजार दो सौ एक) रुपये की निकासी Approver के PKI के माध्यम से हुई है एवं स्थानीय कोषागार, भोजपुर, आरा से चार विपत्रों की कुल राशि 1,66,09,510/– (एक करोड़ छियासठ लाख नौ हजार पाँच सौ दस) रुपये अवैध निकासी Approver के Registered मोबाईल नम्बर पर प्राप्त ओ०टी०पी० के माध्यम से हुई है। इस प्रकार श्री हेमन्त कुमार, कार्यपालक अभियंता द्वारा Approver के दायित्व के निर्वहन में घोर लापरवाही एवं संवेदनहीनता बरती गयी। परिणामस्वरूप CFMS प्रणाली के तहत Maker के दायित्व का निर्वहन करने के दरम्यान श्री कृष्ण चन्द्र कुमार, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर द्वारा कुल 2,09,51,711/–(दो करोड़ नौ लाख एक्यावन हजार सात सौ ग्यारह रुपये) मात्र की अवैध निकासी कर ली गई। इस कपटपूर्ण कृत्य में श्री कुमार की संलिप्तता भी संभावित है।

2. सरकार के अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के पत्रांक 5352 दिनांक 02.04.2024 के माध्यम से संचालन पदधिकारी का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें श्री कुमार के विरूद्ध गठित कुल दो आरोपों में से आरोप सं0–01 को प्रमाणित तथा आरोप सं0–02 को पूर्णतः प्रमाणित नहीं होने का मंतव्य दिया गया है, अर्थात् आरोप संख्या–2 को जाँच आयुक्त द्वारा आंशिक रूप से प्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया है।

3. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की विभागीय समीक्षोपरांत आरोप संख्या–1 के संबंध में जाँच आयुक्त के मंतव्य से सहमत होते हुये और आरोप संख्या–2 के संबंध में जाँच आयुक्त के मंतव्य से असहमत होते हुये उत्पन्न असहमति के बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में विभागीय पत्रांक–5314 (एस) अनु0 दिनांक–28.10.2024 के द्वारा श्री कुमार से लिखित अभ्यावेदन/निवेदन की माँग की गयी।

4. उक्त के आलोक में उनके अभ्यावेदन दिनांक–11.11.2024 द्वारा विभाग को समर्पित लिखित अभ्यावेदन/निवेदन में अपना पक्ष रखते हुए यह भी अंकित किया गया है कि श्री कृष्ण चन्द्र कुमार, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के द्वारा कुल 2,09,51,711/– (दो करोड़ नौ लाख एक्यावन हजार सात सौ ग्यारह रूपये) की गयी अवैध निकासी में से श्री कुमार, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के द्वारा कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–2, जगदीशपुर, भोजपुर के कार्यालय में रू0 1,03,90,000/– ड्राफ्ट के माध्यम से जमा कर दिया गया है तथा अवैध निकासी की वसूली की प्रक्रिया जारी है। उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक–621 (एस) अनु0 दिनांक–28.01.2025 के द्वारा उक्त तथ्य को सम्पुष्ट करते हुए आलोच्य मामले में शेष राशि के वसूली से संबंधित अद्यतन सूचना तथा सरकार को कितना वितीय क्षति हुई है ? के संबंध में स्पष्ट प्रतिवेदन साक्ष्य सहित विभाग को उपलब्ध कराने हेतु योजना एवं विकास विभाग, पटना से अनुरोध किया गया।

5. उक्त के आलोक में स्मारोपरांत योजना एवं विकास विभाग के पत्रांक–5949 दिनांक–22.10.2025 के द्वारा विभाग को प्रतिवेदित किया गया कि उक्त मामले में सरकार को कुल 1,35,62,711/– मात्र वितीय क्षति हुई है। श्री कुमार द्वारा समर्पित लिखित अभ्यावेदन/निवेदन की विभाग स्तर पर समीक्षोपरांत पाया गया कि आरोप सं0 (i) को जाँच आयुक्त के द्वारा तथा आरोप सं० (ii) को विभाग द्वारा जिन तथ्यों/तर्कों के आधार पर आरोपी के विरूद्ध गठित आरोप को प्रमाणित पाया गया है, उसके संबंध में श्री कुमार के द्वारा अपने लिखित अभ्यावेदन/निवेदन में कोई भी तथ्य/तर्क नहीं दिया गया है। जाँच आयुक्त एवं विभाग के उक्त अभिमत का तार्किक ढंग से खण्डन किये बगैर आरोपी श्री कुमार के लिखित अभ्यावेदन/निवेदन को स्वीकार योग्य नहीं माना जा सकता है।

6. इतना ही नहीं, मामले की समीक्षा के क्रम में यह भी पाया गया कि कुल सात फर्जी विपत्रों के माध्यम से विभिन्न तिथियों में यथा– दिनांक 13.01.2021, 06.02.2021, 17.02.2021, 04.03.2021, 12.08.2020, 25.08.2020 एवं 14.06.2021 को कुल 2,09,51,711/– रू0 की अवैध निकासी श्री कृष्णचन्द्र कुमार, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के द्वारा की गई है। आरोपी के कथनानुसार यदि यह मान भी लिया जाय कि डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के द्वारा फर्जी स्वीकृत्यादेश तैयार कर अवैध निकासी की गई है, फिर भी कथित अवैध निकासी में आरोपी की संलिप्तता से इंकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कथित अवैध निकासी विभिन्न तिथियों में हुई है एवं विषयांकित मामले में स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु सक्षम प्राधिकार आरोपी स्वयं है और इस हैसियत से एकाउन्ट की जाँच करते समय कथित निकासी की जानकारी उन्हें अवश्य होती होगी। ऐसी स्थिति में यह माना जा सकता है कि आरोपी के बिना सहयोग एवं संलिप्तता के अवैध निकासी किया जाना संभव ही नहीं है।

7. उपर्युक्त समीक्षा के आधार पर स्पष्ट होता है कि आरोपी श्री कुमार के विरूद्ध आरोप पत्र के तहत गठित दोनों आरोप पूर्णतः प्रमाणित होता है। फर्जी ढंग से अवैध निकासी की सम्पूर्ण प्रकरण में आरोपी श्री कुमार की संलिप्तता परिलक्षित होती है, क्योंकि श्री कुमार के बिना सहयोग एवं संलिप्तता के अवैध निकासी

किया जाना संभव ही नहीं था। श्री कुमार के कृत्य से सरकार को कुल–1,35,62,711/– रुपये की वित्तीय क्षति हुई है, जो घोर कदाचार की श्रेणी में आता है और बिहार सरकारी सेवक के आचरण के प्रतिकूल है।

8. उपर्युक्त के आलोक में श्री हेमन्त कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–2, जगदीशपुर, भोजपुर सम्प्रति सेवानिवृत के द्वारा समर्पित लिखित अभ्यावेदन/निवेदन को अस्वीकृत करते हुए इनके विरूद्ध प्रमाणित आरोपो के लिए बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(बी) के तहत इनके **50% (पचास प्रतिशत) पेंशन की स्थायी रूप से कटौती किये जाने** संबंधी दण्ड प्रस्ताव पर सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार के रूप में माननीय मंत्री, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

9. अनुमोदित दंड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक–538 (एस) अनु0 दिनांक–27.01.2026 के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति/परामर्श की अपेक्षा की गयी। स्मारोपरांत बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक–426 दिनांक–12.05.2026 से प्राप्त परामर्श में सरकार द्वारा निर्णित दंड पर आयोग द्वारा सहमति व्यक्त की गयी।

अतएव उपर्युक्त के आलोक में आरोपी श्री हेमन्त कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–2, जगदीशपुर, भोजपुर सम्प्रति सेवानिवृत के द्वारा समर्पित लिखित अभ्यावेदन/निवेदन स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने तथा उनके विरूद्ध गठित आरोप को प्रमाणित पाये जाने की स्थिति में बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43 (बी) के तहत निम्नांकित दंड अधिरोपित किया जाता है :–

(क) **इनके 50% (पचास प्रतिशत) पेंशन की स्थायी रूप से कटौती।**

दण्ड प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–
सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– **निग/सारा– (यो0 एवं वि0) आरोप–05/2023** **पटना, दिनांक.....**

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (ले0 एवं ह0) का कार्यालय, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– **निग/सारा– (यो0 एवं वि0) आरोप–05/2023** **पटना, दिनांक .....**

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को हार्ड कॉपी एवं सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित (द्वारा–आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, पटना)।

अनु0–यथोक्त।

ह०/–
सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
कृ०पृ०उ०

ज्ञापांक :– निग/सारा– (यो0 एवं वि0) आरोप–05/2023 पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि :– सचिव, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव/अभियंता प्रमुख (मु0), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव/बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव (प्र०को०), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–2, जगदीशपुर, भोजपुर/उप सचिव, मुख्यालय/अवर सचिव (लेखा), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–1/2/6/13/14, एवं 30 (लेखा शाखा), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं **श्री हेमन्त कुमार, सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता, फ्लैट नं0–402, शिवु टावर, चकारम, श्रीकृष्णा नगर, पटना** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– निग/सारा– (यो0 एवं वि0) आरोप–05/2023 4152(3) पटना, दिनांक 16/06/26

प्रतिलिपि :– अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण)/आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय website पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

16.6.26

सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

16.06.26